<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 70 / 2023

1 बाबुलाल पुत्र श्योलाल जाति बावरियां निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती लाली पुत्री हजारी जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।
2 रीना पुत्री शीला पुत्री हजारी।
3 पुनम पुत्री शीला पुत्री हजारी समस्त जाति बांवरिया निवासीगण भावठड़ी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 नीतु पुत्री शीला पुत्री हजारी।
5 पिंकी पुत्री शीला पुत्री हजारी समस्त जाति बांवरिया निवासीगण नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।
6 सीमा पुत्री शीला जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।
7 पुष्पेन्द्र पुत्र शीला पुत्री हजारी जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाडी (हरियाणा) नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रमेश जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।
8 ईश्वर पुत्र बालिया उर्फ बुला जाति बांवरिया निवासी डुमोली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
9 कमलेश पुत्री अमरा जाति बांवरिया निवासी मंडेला तहसील ऐलनाबाद जिला हिसार (हरियाणा)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

10 कैलाश पुत्री अमरा जाति बांवरिया निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी डाबड़ी तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरियाणा) (मृतक)।

10/1 कुन्ती पुत्री कैलाश जाति बांवरिया निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये संरक्षक सुमित्रा पुत्री अमरा जाति बांवरिया निवासी डाबड़ी तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

11 शकुन्तला स्त्री अमरा।

12 महेन्द्र पुत्र अमरा।

13 सतवीर पुत्र अमरा समस्त जाति बांवरिया निवासीगण फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

14 सुमित्रा पुत्री अमरा स्त्री धर्मवीर निवासी डाबड़ी तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी।

15 गुदड़ी पुत्री श्योलाल स्त्री बीरभान निवासी ग्राम नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी।

16 रामकली पुत्री श्योलाल स्त्री मांगेराम जति बांवरिया निवासी जखराणा तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

17 मृतक मुन्नी पुत्री श्योलाल स्त्री पप्पु जाति बांवरिया निवासी कठु तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।

17/1 यशपाल पुत्र पप्पु।

17/2 राजेश पुत्र पप्पु।

17/3 कृष्ण पुत्र पप्पु।

17/4 पुनम पुत्री पप्पु।

17/5 पिंकी पुत्री पप्पु।

17/6 सुमन पुत्री पप्पु।

17/7 लाली पुत्री पप्पु।

18 सतरी पुत्री श्योलाल स्त्री मोनू समस्त जाति बांवरिया निवासीगण कठु तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी

19 स्नेहलता पुत्री श्योपाल स्त्री कालु जाति बांवरिया निवासी छापड़ा तहसील लाडनू जिला नागौर।
20 चमेली स्त्री गोविन्दा जाति बांवरिया निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
21 सोनु पुत्र राजेश।
22 प्रियंका पुत्री राजेश।
23 मोनु पुत्र राजेश।
24 शिवचरण पुत्र फुला।
25 सुबेसिंह पुत्र फुला।
26 मखनाराम पुत्र बीरबल।
27 राजदुलारी स्त्री सुबेसिंह समस्त जाति बांवरिया निवासीगण फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
28 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
29 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

प्रथ अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.19 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी लाली बनाम ईश्वर वगैरह मुकदमा नम्बर 68/2018 दावा बाबत घोषणा विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा।

Sd/-

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अपील संख्या 71 / 2023

1 बाबुलाल पुत्र श्योलाल जाति बावरियां निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती लाली पुत्री हजारी जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

2 रीना पुत्री शीला पुत्री हजारी।

3 पुनम पुत्री शीला पुत्री हजारी समस्त जाति बांवरिया निवासीगण भावठड़ी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

4 नीतु पुत्री शीला पुत्री हजारी।

5 पिंकी पुत्री शीला पुत्री हजारी समस्त जाति बांवरिया निवासीगण नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

6 सीमा पुत्री शीला जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

7 पुष्पेन्द्र पुत्र शीला पुत्री हजारी जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाडी (हरियाणा) नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रमेश जाति बांवरिया निवासी नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

8 ईश्वर पुत्र बालिया उर्फ बुला जाति बांवरिया निवासी डुमोली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

9 कमलेश पुत्री अमरा जाति बांवरिया निवासी मंडेला तहसील ऐलनाबाद जिला हिसार (हरियाणा)।

Sd/-

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी

10 कैलाश पुत्री अमरा जाति बांवरिया निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी डाबड़ी तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरियाणा) (मृतक)।

10/1 कुन्ती पुत्री कैलाश जाति बांवरिया निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये संरक्षक सुमित्रा पुत्री अमरा जाति बांवरिया निवासी डाबड़ी तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

11 शकुन्तला स्त्री अमरा।

12 महेन्द्र पुत्र अमरा।

13 सतवीर पुत्र अमरा समस्त जाति बांवरिया निवासीगण फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

14 सुमित्रा पुत्री अमरा स्त्री धर्मवीर निवासी डाबड़ी तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी।

15 गुदड़ी पुत्री श्योलाल स्त्री बीरभान निवासी ग्राम नेहरूगढ़ तहसील कोसली जिला रेवाड़ी।

16 रामकली पुत्री श्योलाल स्त्री मांगेराम जति बांवरिया निवासी जखराणा तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

17 मृतक मुन्नी पुत्री श्योलाल स्त्री पप्पु जाति बांवरिया निवासी कठु तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।

17/1 यशपाल पुत्र पप्पु।

17/2 राजेश पुत्र पप्पु।

17/3 कृष्ण पुत्र पप्पु।

17/4 पुनम पुत्री पप्पु।

17/5 पिंकी पुत्री पप्पु।

17/6 सुमन पुत्री पप्पु।

17/7 लाली पुत्री पप्पु।

18 सतरी पुत्री श्योलाल स्त्री मोनू समस्त जाति बांवरिया निवासीगण कठु तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

19 स्नेहलता पुत्री श्योपाल स्त्री कालु जाति बांवरिया निवासी छापड़ा तहसील लाडनू जिला नागौर।
20 चमेली स्त्री गोविन्दा जाति बांवरिया निवासी फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
21 सोनु पुत्र राजेश।
22 प्रियंका पुत्री राजेश।
23 मोनु पुत्र राजेश।
24 शिवचरण पुत्र फुला।
25 सुबेसिंह पुत्र फुला।
26 मखनाराम पुत्र बीरबल।
27 राजदुलारी स्त्री सुबेसिंह समस्त जाति बांवरिया निवासीगण फतेहपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
28 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
29 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

प्रथ अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 03.06.22 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी लाली बनाम ईश्वर वगैरह मुकदमा नम्बर 68/2018 दावा बाबत घोषणा विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महीपाल सिंह कपूरियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
... अपील अधिकारी

अधिकारी एवं ... राजस्व अपील ... सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 08/2/24

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 68/2018 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2019 एंव अन्तिम डिक्री दिनांक 03.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एंव पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 56 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 3.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 1.49 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम फतेहपुरा तहत तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन में से वादीगण नम्बर 1 लगायत 7 ने संयुक्त रूप से 1/8 हक हिस्सा की घोषणा एवं विभाजन बाबत रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 7 ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र में विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.12.2019 को प्राथमिक रूप से निर्णित कर दिनांक 03.06.2022 को अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह दोनों अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में लाली ने बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया था। दावे में लाली ने अपना हिस्सा नही बताया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के कूटरचित हस्ताक्षर कर तामील करवाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय में रोशनी की मृत्यु होने के उपरान्त तामील करवा ली गई। विभाजन प्रस्ताव से पूर्व पक्षकारों को नोटिस नही दिये गये है। विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकारों

अधिकारी एवं

को रास्ता नही दिया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 5 का आवेदन एवं अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। कूटरचित तामील के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। अपीलांट की बहिने विचारण न्यायालय में पक्षकार रही है उन्होने निर्णय को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में जानकारी नही होने का कथन स्वीकार नही किया जा सकता है। रोशनी के वारिसान पहले से पक्षकार है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील की अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। कूटरचित तामील के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। अपीलांट की बहिने विचारण न्यायालय में पक्षकार रही है उन्होने निर्णय को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में जानकारी नही होने का कथन स्वीकार नही किया जा सकता है। रोशनी के वारिसान पहले से पक्षकार है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है। अपील की अपील मियाद बाहर है। प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर